महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र:एफ–15 / शोध / मदसविवि / दिनांक : /08/2021

पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

विश्वविद्यालय अध्यादेश 124.5.E(i) के प्रावधानान्तर्गत प्रो. सतीश अग्रवाल के निलम्बन के कारण शोधार्थी शालिनी माथुर से दिनांक 17.06.2020 को प्राप्त प्रार्थना पत्र जिसमें नवीन शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाने के क्रम में प्रकरण विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण दिनांक 08.07.2021 को Research Grievance Redressal Committee में रखा गया । समिति द्वारा नवीन शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाने की संस्तुति का अनुमोदन माननीय द्वारा दिनांक 24.07.2021 को प्रदत्त किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 11.08.2021 को आयोजित शोध पर्यवेक्षक आंवटन समिति की अनुशंसा को माननीय द्वारा दिनांक 24.07.2021 के अनुमोदन उपरान्त पुनः शोध पर्यवेक्षक आवंटित किया गया :–

क्रसं.	अभ्यर्थी का नाम	शोध पर्यवेक्षक का नाम	आंवटन स्थिति
1	Shalini Mathur (RET-2011)	Dr. Shiv Prasad	Registration Made on 18-04-2015

1. शोधार्थी को अध्यादेश 124.8.J के प्रावधानानुसार अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 20 दिवस की निर्धारित अवधि में पुनः आंवटित शोध पर्यवेक्षक के अधीन ज्वोइनिंग प्रस्तुत करनी होगी ।

2. ज्वोइनिंग उपरान्त दिनांक 18.04.2015 से 17.04.2020 तक 5 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में शोधार्थी द्वारा नवीन शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाने के साथ एक वर्ष अवधि विस्तार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 27.04.2020, पब्लिक नोटिस दिनांक 03.02.2020 एवं 16.03.2021 के तहत शोध अवधि विस्तार शोधार्थी पर भी प्रभावी है ।

Sd/-
निदेशक (शोध)

क्र:एफ–15 / शोध / मदसविवि / 19345-349 दिनांक : ~~/08/2021~~ 17.9.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को इस निवेदन के साथ कि शोधार्थी / अभ्यर्थी अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 20 दिवस की निर्धारित अवधि में पुनः आंवटित शोध पर्यवेक्षक के अधीन ज्वोइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अग्रेषित कर अविलम्ब निदेशक शोध को भेज कर अनुग्रहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षक को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वॉइन रिपोर्ट अग्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हे शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. वेब एडमिनिस्ट्रेशन, म.द.स.वि.वि.अजमेर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
5. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।

उपकुलसचिव (शोध)
17/09/21